रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 25, 2002/माघ 5, 1923

No. 89] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 25, 2002/MAGHA 5, 1923

CENTRAL B... LIBRARY 31/x/02

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2002

का.आ. 108(अ).—केन्द्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 93(अ) तारीख 29 जनवरी, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में पैरा 1 में,—

(i) "चार वर्षों की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्षों की अवधि के लिए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या (1) पर "सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जैसलमेर हाऊस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली" शब्दों के स्थान पर "अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम, खाद्य सदन, 16-20 बाराखम्भा लेन, नई दिल्ली-110001" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या (2) पर "आयुक्त व सचिव, यातायात विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली" शब्दों के स्थान पर "संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110011" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) क्रम संख्या (3) तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) सुश्री सुनीता नारायण, निदेशक, विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र, 41, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, (समीप बतरा हास्पिटल) नई दिल्ली-110062—सदस्य।",

(v) क्रम संख्या (4) "कार्यकारी निदेशक (विपणन एवं बिक्री)" शब्दों के स्थान पर "प्रबंधक निदेशक" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. क्यू-18011/14/90/सी.पी.ए. (खंड-XI)]

सी. विश्वनाथ, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:—प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 29 जनवरी, 1998 की संख्या का.आ. 93(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा तदुपरान्त 25 जनवरी, 2000 की संख्या का.आ. 68(अ) के माध्यम से संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 25th January, 2002

S.O. 108(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 93(E) dated the 29th January, 1998, namely :–

In the said notification, in paragraph 1,—

(i) for the words "for a period of four years" the words "for a period of five years" shall be substituted;

(ii) at serial number (1) for the words "Secretary, Central Vigilance Commission, Jaisalmer House, Mansingh Road, New Delhi" the words "Chairman, Food Corporation of India, Khadya Sadan, 16-20 Barakhamba Lane, New Delhi-110001" shall be substituted;

(iii) at serial number (2) for the words "Commissioner-cum-Secretary, Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi, Delhi" the words "Joint Secretary, Ministry of Textiles, Government of India, New Delhi-110011" shall be substituted;

(iv) for serial number (3) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :— "(3) Ms. Sunita Narain, Director, Centre for Science and Environment, 41, Tughlakabad Institutional Area, (Near Batra Hospital), New Delhi-110062—Member.";

(v) at serial number (4) for the words "Executive Director (Marketing & Sales)" the words "Managing Director" shall be substituted.

IndiaCode

[No. Q-18011/14/90-CPA (Vol. XI)]

C. VISWANATH, Jt. Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 93(E) dated the 29th January, 1998 and subsequently amended vide S.O. 68(E), dated the 25th January, 2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.